

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल-

पीआरवी 6001 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर कालर द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1. बबली पुत्री रामजी निवासी सियरासांथा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) द्वारा सड़क दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों

की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर सड़क दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 आशीष शुक्ला, का0 विपिन मिश्रा, हो०चा0 अनिल पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनों से 77,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनों से 77,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/2025 धारा 137(2), 87, 352,351(3),3(5) बीएनएस व 3(1)ध,3(2)v,3(va) SC/ST Act थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 01. मो0 शादाब पुत्र अब्दुर रहमान 02.मो0 अजहर पुत्र अब्दुल कलाम 03. अबुशामा पुत्र बदरुल हसन निवासीगण निहालपुर (मानपुर) थाना महुली 04. मो0 अरमान पुत्र मो0 सफात निवासी रामपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को पौली चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 03.03.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.05.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, हे0का0 बदरे आलम, हे0का0 सोनू पटेल, का0 मेराज अली।